न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

प्रकरण सख्या ......45 / 12...

राज. सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा

बनाम

गंभीरा पुत्र काना रावत निवासी रतनगढ़ तह. मसूदा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट

–: <u>आदेश</u> :––

दिनांक 09.06.2016

इस प्रा0पत्र में प्रार्थी ने सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम रतनगढ पटवार क्षेत्र मोयणा तह मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नंम्बर 340 रकबा 2–12–00 बीघा में अप्रार्थी ने विधि विरूद्ध अवैध खनन कर रखी है । अप्रार्थी का यह कृत्य राज. काश्ताकारी अधिनियम प्रावधानों के विपरीत होने से प्रश्नगत आराजी को सरकारी सिवाय चक घोषित किया जावे ।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प मोयणा पेश हुई । इस प्रार्थना–पत्र बाबत् जलसाए आम में उपस्थित लोगों को जानकारी चाही गई तो लोगों ने अवगत करवाया कि अप्रार्थी ने कोई खनन कार्य नहीं किया है यह तो पूर्व से खड्डा चला आता है । इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी ने स्वयं ने अपनी जांच में पाया है कि यह खनन कार्य अप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है अपितु पूर्व से किया हुआ होना पाया जाता है तथा मौके पर मलबा पडा है । मलबा खनन कार्य की संज्ञा में नहीं आता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय निरस्त किया जाता है । आदेश आज दिनांक 09.06.2016. को जलसाए आम में सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.27 16:51:23 IST
Reason: SelfAttested